संख्या-50/2016/728/22-2-2015-17(170)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी रज्जन प्रसाद पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15646/पर-3(एम-05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रज्जन प्रसाद पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी ग्राम-परसौली, थाना-गाजीपुर जनपद-फतेहपुर का निवासी है। जेवरों का बटवारा न किये जाने से नाराज होकर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 08.06.1981 को अर्द्धरात्रि में अपने पिता की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-621/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 01.06.1983 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2014 तक 20 वर्ष 10 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रज्जन प्रसाद पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी जनपद-फतेहपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रज्जन प्रसाद (बन्दी संख्या-81/10) पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके

http://shasanadesh.up.nic.in

एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-728/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-728/22-2-2015-17(170)/2015
दिनांक 10 मई, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी रज्जन प्रसाद पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी ग्राम-परसौली, थाना-गाजीपुर जनपद-फतेहपुर का निवासी है। जेवरों का बटवारा न किये जाने से नाराज होकर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 08.06.1981 को अर्द्धरात्रि में अपने पिता की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-621/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 01.06.1983 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2014 तक 20 वर्ष 10 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रज्जन प्रसाद पुत्र श्री भागवत प्रसाद निवासी जनपद-फतेहपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in